गृह मंत्रालय

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की

ओडिशा सरकार अगले 6 माह के लिए नए आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत अमल को सभी प्रशासनिक स्तरों पर प्राथमिकता दे

आने वाला दशक ओडिशा के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण, विकास के लिए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में तीन नए आपराधिक कानूनों की भूमिका अहम

राज्य के गृह सचिव के स्तर पर सप्ताह में एक बार, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक 15 दिन और मुख्यमंत्री महीने में राज्य में नए आपराधिक कानूनों के अमल की समयसीमा तय कर प्रगति की समीक्षा करें

प्रविष्टि तिथि: 09 APR 2025 8:42PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव, ओडिशा, महानिदेशक, BPR&D, पुलिस महानिदेशक, ओडिशा और निदेशक, NCRB सहित गृह मंत्रालय और ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में चर्चा के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार को अगले 6 माह के लिए नए आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत अमल को प्रशासन के सभी स्तरों पर प्राथमिकता बनाना होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि आने वाला दशक ओडिशा जैसे उभरते हुए राज्य के विकास के लिए अतिमहत्वपूर्ण है और भविष्य में राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास के मद्देनज़र राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में तीन नए आपराधिक कानूनों की अहम भूमिका रहेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के गृह सचिव के स्तर पर सप्ताह में एक बार और मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक प्रत्येक 15 दिनों में और मुख्यमंत्री महीने में एक बार राज्य में नए आपराधिक कानूनों के अमल की समयसीमा तय कर प्रगति की समीक्षा करें।

*****

वीवी / आरआर / पीआर

(रिलीज़ आईडी: 2120596) आगंतुक पटल : 138

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Odia , English , Urdu , Gujarati